राजस्व लोक अदालत कैम्प– टापरा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बालोतरा पीठासीन अधिकारी
श्री भागीरथ राम आर.ए.एस.

मुकदमा नंबर 524 / 2016

प्रार्थीगण :–

1. वीरमाराम पुत्र सांवलराम कलबी चौधरी, निवासी पनोतरीनाडी, तहसील पचपदरा जिला बाडमेर

विप्रार्थीगण :– बनाम

1. अणदाराम पुत्र गोकलाराम
2. पूनमाराम पुत्र गोकलाराम जाति चौधरी निवासी पनोतरीनाडी, टापरा

अधिकारी (S D O) बालोतरा

<u>प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251ए आर.टी.ए.</u>

आदेश

दिनांक 07.06.2018

पत्रावली राजस्व लोक अदालत कैम्प टापरा में पेश हुई। प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए आर.टी.ए एक्ट का विप्रार्थीगण के खिलाफ पेश किया गया है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र पेश कर व्यक्त किया है कि कटाण रास्ता से प्रार्थी के खातेदारी खेत (कृषि भूमि) तक का रास्ता अर्थात खसरा नं. 73 रकबा 52.06 बीघा ग्राम पनोतरीनाडी मेरी खातेदारी भूमि में आने–जाने हेतु कोई रास्ता नहीं है। मेरी खातेदारी जोत तक पहुचने हेतु 20 फिट चौडाई में नये रास्ता घोषित करवाने चाहते है।

उक्त आशय का प्रार्थनापत्र पेश होने पर विप्रार्थीगण को सम्मन जारी किया गया। तहसीलदार पचपदरा ने जरिये पत्रांक क्रमाक 2325 दिनांक 7.06.2018 को रिपोर्ट प्रस्तुत की की प्रार्थी की ओर से चाहे गये रास्ते के अलावा प्रार्थीगण के खेत तक आवागमन हेतु कोई कटान का सडक/ रास्ता नहीं है। न ही कोई ग्रेवल सडक बनी हुई है । प्रार्थी के द्वारा चाहे गये रास्ते के अलावा उसके खेत मे आवागमन हेतु अन्य कोई नजदीकी रास्ता उपलब्ध नहीं है जिसके अनुसार मौजा पनोतरीनाडी के खसरा न0 75 रकबा 10.17 बीघा खातेदारी भूमि दर्ज है जिसमें से 0.08 बीघा भूमि प्रस्तावित की है जो नक्शानुसार है उक्त भूमि की वर्तमान डीएलसी दर 1.85,130/– रूपये प्रतिबीघा है।

(भागीरथ राम)
पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कोर्ट कैम्प-2018
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर
बालोतरा कैम्प.......

Scanned by CamScanner

-2-

पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड, जमाबन्दी, प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत नजरी नक्शा परिशिष्ट 'अ' तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत मौका फर्द व नजरी नक्शा आदि का अवलोकन करने के पश्चात हम इस निर्ष्कष पर पंहुचे है कि प्रार्थीगण द्वारा नया रास्ता की मांग परिशिष्ट 'अ' व तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत मौका फर्द का नजरी नक्शा मे समानता है।

अनवान प्रकरण मे प्रार्थीगण द्वारा चाहे गये व तहसीलदार द्वारा प्रस्तावित रास्ता की भूमि खसरा न0 75 रकबा 10.17 बीघा भूमि खातेदारी भूमि दर्ज है जिसमें से 0.08 बीघा भूमि प्रस्तावित की रास्ता के लिये बनती है। तहसीलदार द्वारा खसरान की डीएलसी दर डीएलसी दर 1.85,130/– प्रतिबीगा होना जाहिर किया है।इस प्रकार 08 बिस्वा भूमि का मुआवजा धारा 251 ए आरटीए के तहत नये नियमो के तहत डीएलसी रेट प्रतिबीगा डीएलसी दर 1.85, 130/–के हिसाब से 08 बिस्वा भूमि का मुआवजा डीएलसी दर 1,85,130/– के हिसाब से दुगना अर्थात 1,48,104/– रूपये देय होते है। जो प्रार्थीगण से वसूल कर विप्रार्थीगण, खातेदारान खसरा नंबर 75 रकबा 10.17 बीघा के खातेदारान, को दिलाया जाना उचित है।

प्रार्थीगण मुआवजा की राशि रूपये 1,48,104/–अक्षरे एक लाख अडतालिस हजार एक सौ चार रूपये मात्र विप्रार्थी खातेदार खसरा न0 75 रकबा 10.17 बीघा को निरीक्षक भू.अ. जसोल के रूबरू अदा कर रसीद तहसीदार पचपदरा को पेश करे। यदि खसरा न0 75 रकबा 10.17 बीघा के खातेदार मुअवजा राशि लेनें से इन्कार करते हे तो ऐसी स्थिति मे उक्त राशि तहसीलदार पचपदरा के कार्यालय मे जमा करवाने हेतु आदेशित किया जाता है। तदुपरान्त तहसीलदार पचपदरा आदेशानुसार माफिक संलग्न नक्शा सार्वजनिक रास्ते का राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद कर राजस्व नक्शे मे तरमीम कर पालना रिपोर्ट प्रेषित करें।

आदेश खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

पत्रावली फैसल सुमार होकर के दाखिल दफतर हो ।

अधिकारी (S D O) बालोतरा

(भागीरथ राम)
पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कोर्ट कैम्प- 2018
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर
बालोतरा कैम्प......21/5/19......

Scanned by CamScanner